x<

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
जनपद अलीगढ।

- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिहिन्त ग्राम पंचायतों में नवाचार के माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है।
- जनपद की अर्द्धशहरी 81 ग्राम पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर नोडल अधिकारी, प्रधान, सचिव व खण्ड विकास अधिकारी की उन्मुखीकरण बैठक की गयी।
- उन्मुखीकरण बैठक में आबकारी, बैक, जीएसटी, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति आदि विभागों से समन्वय कर स्वच्छता ऑडिट बैठक में सम्बन्धित की उपस्थिति सुनिश्चित करायी गयी।
- उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम की धारा–15 व 18 अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कचरा प्रबंधन, सफाई के सुधार एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी व अधिकार ग्राम पंचायत का है एवं धारा 37 अन्तर्गत सेवा शुल्क लगाने का प्राविधान है।
- प्रधान, सचिव, फ्रंटलाईन वर्कर से साथ प्राथमिक बैठक एवं नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा की स्वच्छता आडिट की बैठक करायी गयी जिसमें उत्सर्जित कचरे का आंकलन व वैल्थ रैकिंग से स्वच्छता शुल्क का निर्धारण किया गया। बैठक में स्वच्छता शुल्क व आर्थिक दण्ड के प्राविधान का अनुमोदन।
- मेरा कूडा– मेरी जिम्मेदारी, मेरा गॉव मेरी स्वच्छता के साथ जनसहभागिता से स्वच्छता के लक्ष्य से, वाहन के निर्धारित रूट चार्ट/रोस्टर के अनुसार डोर–टू–डोर कूडा संग्रहण का कार्य किया गया।
- कूड़ा वाहन में जी0पी0एस0 एवं स्पीकर का इन्स्टॉलेशन से आई0ई0सी0 सेल द्वारा मॉनीटरिंग एवं जनजागरूकता करायी गयी।
- क्षेत्रवार उपभोक्ता समूह का व्हाटसऐप ग्रुप बनाया गया एवं दुकानों, ढाबे, पेट्रौल पम्प, शराब की दुकान, हाट बाजार आदि अन्य कचरा उर्त्सजन करने वाले संस्थाओं पर स्वच्छता शुल्क की दर कचरे के अनुपात में रखी गयी।
- स्वच्छता शुल्क जमा करने हेतु क्यू0आर0कोड़ एवं ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- कचरा प्रबंधन से संबंधित रिकॉर्ड लॉगबुक, कार्यवाही रजिस्टर, करदाताओं की सूची रूपपत्र–14, मांग व वसूली का रजिस्टर रूपपत्र–15 तैयार करना एवं स्वच्छता शुल्क के बिल निर्गत करना एवं सफाई कर्मी के माध्यम से घरों/व्यवसायियों को बिल प्राप्त कराकर, प्राप्त शुल्क का लेखा–जोखा रखना का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव व पंचायत सहायक को दी गयी।
- यूनीसेफ के सहयोग से **व्यवहार परिवर्तन एवं जनसहभागिता से स्वच्छता हेतु ट्रिगरिंग टूल्स बनाये गये, प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक एवं सफाई कर्मी की भूमिका एवं दायित्व के साथ ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन की एस0ओ0पी0 की अभ्यास पुस्तिका डिजाईन** की गयी।
- अभ्यास पुस्तिका के आधार पर यूनीसेफ के सहयोग से दिनांक 30.07.2024 से 03.08.2024 तक ग्राम पंचायतो के प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, सहायक विकास अधिकारी (पं0) व खण्ड विकास अधिकारी को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।